राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 51/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–24.02.2025

उनवान

1. सत्यनारायण आ0 लक्ष्मीनारायण जाति बाबाजी निवासी होली का खुट दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. प्रमेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण जाति बाबाजी निवासी होली का खुट दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति माली निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली।
2. केसरीलाल पिता माधो जाति धाकड निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली।
3. जगदीश पिता माधो जाति धाकड निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली।
4. दुर्गालाल पुत्र माधो जाति धाकड निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली।
5. ओमप्रकाश पिता बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
6. महावीर पिता बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
7. मोहन पिता बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
8. मोहन पिता बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
9. रामी बाई पत्नी बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
10. सीता बाई पुत्री बजरंगलाल जाति माली निवासी दबलाना तह0 हिण्डोली।
11. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

आदेश

दिनांक :–29.08.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 583 खसरा संख्या 353 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 354 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 367 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5252 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चल आ रहे है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमियों के अगल–बगल अप्रार्थी संख्या 1 व 10 की भूमि संख्या 356, 352, 366, 446 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 10 की खातेदारी में दर्ज है। प्राथीगण प्रार्थना पत्र की चरण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण खातेदार है, लेकिन प्रार्थीगण की भूमियों की सीमाओं पर कोई मुस्तकिन निशान नहीं होने से तथा सीमावंदी के वावत कोई स्थायी चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा व मेडो को तोडने की कुचेष्टा करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमिया बताते है, तथा आये दिन लडाई झगडा करते है। जिस कारण प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर तारपेसिंग वगेरा नहीं करवा पा रहे है। प्रार्थीगण चाहते है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओं पर तापेंसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पूर्व में सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन पेश किया था, जिस पर दिनांक 14.06.2023 को श्रीमान नायब तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 14/12/2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया, परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को आज दिन तक मानने को तैयार नहीं हुये है तथा अप्रार्थीगण ने अभी दिनांक 05.02.2025 को प्रार्थीगण को धमकी दी कि खेत खाली होने पर मेडो को तोडकर तुम्हारी भूमियों पर जबरन कब्जा करेगे, इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पूर्व में तारपेंसिंग नही कर पाया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेंसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 583 खसरा संख्या 353 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 354 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 367 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 447 रकबा 0.1052 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5252 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 01 लगायत 10 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 10.07.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 11 ने प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराने के उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

और यह संभव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नक्ल, जमाबंदी संवत् 2076--79 वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 583 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 583 के खसरा सं0 353, 354, 355, 367, 447 वाके ग्राम दबलाना प0म0 दबलाना तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446